

File No. अधि-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/10406/2022

1/10406/2022

**कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून**

वनादेश सं० 19 /1-13(13) देहरादून दिनांक, 29 नवम्बर, 2022

**पदोन्नति/तैनाती आदेश**

इस कार्यालय के पत्रांक 1/8678/2022/1-13(एच0आर0डी0) दिनांक 28-10-2022 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-11-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900-1,42,400 लेवल 07 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 47,600-1,51,100 लेवल-08 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में की जाती है :-

क्र० सं०	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	तैनाती कार्यालय	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अम्बा दत्त भट्ट	वन वर्धनिक, साल, हल्द्वानी	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड नैनीताल	तत्काल
2	श्री नारायण दत्त तिवाड़ी	प्र०व०, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	प्र०व०, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	तत्काल
3	श्री कैलाश चन्द साह	प्र०व० अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर	तत्काल
4	श्री अनिल कुमार कपिल	प्र०व० हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	प्र०व० हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	तत्काल
5	श्रीमती बीना भट्ट	प्र०व० टिहरी डेम वन प्रभाग द्वि० उत्तरकाशी	प्र०व० उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	तत्काल
6	श्री जगत सिंह रावत	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी	तत्काल
7	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी	तत्काल
8	श्री सतीश चन्द्र पाण्डे	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत हल्द्वानी	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत हल्द्वानी	तत्काल
9	श्रीमती अनीता बडोनी	प्र०व० टिहरी डेम वन प्रभाग (प्र०)नई टिहरी	प्र०व० टिहरी डेम वन प्रभाग (प्र०)नई टिहरी	दिनांक 01-12-2022 से प्रभावी

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कर्मचारी पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

**Signed by Vinod Kumar****Date: 29-11-2022 15:51:55**

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

File No. अधि-1-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/10406/2022

1/10406/2022

कमोडि स० 19

1/10406/2022/1-13

पत्र सं० (1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. आदेश में अंकित. समस्त कार्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)  
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

I.T. Dept  
अपलोड कर पंजी करें।  
1/11/22  
DCE  
30/11/22